राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 अक्तूबर, 2009 / 2 कार्तिक, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–48 / 2005–लेज.––श्री हरी सरनदास बसी, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरी सरनदास बसी, अधिवक्ता को उप–मण्डल नालागढ़, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9)48/2005-*Leg. dated* 23-10-2009 *as required under Article* 348(3*) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-48/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Hari Sharan Dass Bassi, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Hari Sharan Dass Bassi, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Nalagarh of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary.*

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–26 / 2005–लेज.––श्री छेरिंग लाल नेगी, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल कल्पा, जिला किन्नौर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री छेरिंग लाल नेगी, अधिवक्ता को उप–मण्डल कल्पा, जिला किन्नौर

की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9)26/2005-*Leg. dated* 23-10-2009 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-26/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Chhering Lal Negi, Advocate, Kinnaur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Chhering Lal Negi, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Kalpa of District Kinnaur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary.*

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–23 / 2005–लेज.––श्री संजय अमृत गोपाल, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल पालमपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजय अमृत गोपाल, अधिवक्ता को उप–मण्डल पालमपुर, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)23/2005-Leg. dated 23-10-2009 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-23/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Sanjay Amrit Gopal, Advocate, Kangra has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Palampur of District Kangra;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Sanjay Amrit Gopal, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Palampur of District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary.*

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–4 / 2005–लेज.––श्री संजीव शर्मा, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजीव शर्मा, अधिवक्ता को उप–मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9)4/2005-*Leg. dated* 23-10-2009 *as required under Article* 348(3*) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-3/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Sanjeev Sharma, Advocate, Chamba has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the

Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Chamba of District Chamba;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Sanjeev Sharma, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Chamba of District Chamba, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary.*

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–4 / 2005–लेज.––श्री टेक चन्द शर्मा, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टेक चन्द शर्मा, अधिवक्ता को उप–मण्डल चम्बा, जिला चम्बा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9)4/2005-*Leg. dated* 23-10-2009 *as required under Article* 348(3*) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-4/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Tek Chand Sharma, Advocate, Chamba has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Chamba of District Chamba;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Tek Chand Sharma, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Chamba of District Chamba, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary.*

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–3 / 2005–लेज.––श्री अजय कुमार, अधिवक्ता, ने उप–मण्डल़ घुमारवीं, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय कुमार, अधिवक्ता को उप–मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)3/2005-Leg. dated 23-10-2009 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd October*, 2009

No. LLR-E(9)-3/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Ajay Kumar, Advocate, has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By Order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-*Secretary*.

———————

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 23 अक्तूबर, 2009

संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(1)–2 / 2004–पार्ट.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, अधिसूचना संख्याः ई. एक्स.एन.–एफ(11)–5 / 2004(i), तारीख 19 जनवरी, 2006 के साथ पठित इस विभाग की अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0–एफ(1)2 / 2004(iii), तारीख 30 मार्च, 2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (डैफर्ड पेमैंट ऑफ टैक्स) स्कीम, 2005 के पैरा 16 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित

कर अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 62 की उप–धारा (5) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करतीं हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम.––** इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (डैफर्ड पेमैंट ऑफ टैक्स) अमैंडमेंट स्कीम, 2009 है ।

2. **एनैक्सचर–1 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स (डैफर्ड पेमैंट ऑफ टैक्स) स्कीम, 2005 के एनैक्सचर–1 में विद्यमान मद संख्या 22 के पश्चात् निम्न–लिखित मद संख्या 23 अन्तःस्थापित की जाएगी और हमेशा अन्तःस्थापित की गई है समझी जाएगी, अर्थात्:–

"23. Breweries, Distilleries, Non-fruits/vegetables based breweries and bottling plants (both for country and Indian made foreign liquor)." .

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)*-2/2004-*Part*, *dated* 23-10-2009 *as required under Clause(3) of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23*rd October*, 2009

No. EXN- F(1)-2/2004 –Part.— In exercise of the powers conferred under first proviso to sub-section (5) of section 62 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) read with para 16 of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Deferred Payment of Tax) Scheme, 2005 notified *vide* this department notification No. EXN-F(1)2/2004(iii), dated 30th March, 2005 and read with notification No. EXN-F(11)-5/2004(i), dated 19th January, 2006, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said scheme, namely:—

1. **Short title.—** This scheme may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Deferred Payment of Tax) Amendment Scheme, 2009.

2. **Amendment of Annexure-I.—**In ANNEXURE-I of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Deferred Payment of Tax) Scheme, 2005, after existing item No. 22 the following item No. 23 shall be and shall always be deemed to have been inserted, namely:-

"23. Breweries, Distilleries, Non-fruits/vegetables based breweries and bottling plants (both for country and Indian made foreign liquor)." .

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

———————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 16 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)145 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव / उप महाल पनोह द्वितीय मौजा पनोह, तहसील ऊना, जिला ऊना में नंगल–अम्ब– मुवारिकपुर–तलवाडा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	ऊना	पनोह द्वितीय	876	00–00–50
			877	00–01–60
		कुल किता	**2**	**00–02–10**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)128 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मनेई, उप तहसील हार चक्कियां, जिला कांगड़ा में रानीताल–कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
कांगडा	हार चक्कियां	मनेई	138 / 2 / 1	0–03–55
			145 / 2 / 1	0–01–76
			146 / 2 / 1	0–01–52
			148 / 1	0–00–24
			150 / 2 / 1	0–02–97
			151 / 2 / 1	0–02–58
			162 / 2 / 1	0–03–19

	163 / 1	0–02–17
	164 / 1	0–00–08
	184 / 2	0–04–65
	182 / 1	0–00–24
	183 / 2 / 2	0–00–24
	194 / 2	0–03–36
	948 / 195 / 2 / 1	0–00–88
	201 / 1	0–00–37
	202 / 3 / 1	0–01–18
	243 / 3 / 1	0–01–38
	254 / 3	0–01–58
	266 / 2	0–01–74
	267 / 2	0–01–66
	277 / 1	0–00–28
	279 / 1	0–00–28
	280 / 1	0–00–15
	281	0–00–45
	704 / 2 / 1	0–00–80
	708 / 2 / 1	0–00–88
	709 / 2 / 1	0–00–37
	710 / 1	0–00–07
	711 / 2 / 1	0–00–62
कुल किता	**29**	**0–39–24**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)138 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव वाईला जन्दरोली, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
शिमला	ठियोग	वाईला जन्दरोली	85	0–02–21
			86	0–07–18
			89	0–34–38
		कुल किता	**3**	**0–43–77**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)139 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गजौत, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
शिमला	ठियोग	गजौत	51 / 2	0–17–45
			52 / 2	0–07–59
			53	0–00–25
			55	0–00–40
			56 / 2	0–00–38
			57	0–00–48
			61	0–02–20
			62	0–00–38
			63	0–00–97
			88 / 2	0–13–73
			103 / 2	0–10–99
		कुल किता	**11**	**0–54–82**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)151 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अम्वे दा वेहडा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
ऊना	बंगाणा	अम्वे दा वेहडा	11	0–02–24
			15	0–00–52
			411 / 16	0–07–04
			21	0–01–26
			22	0–00–20
			30	0–09–24
			31	0–01–12
			32	0–01–70
			33	0–03–10
			34	0–02–48
			152	0–01–23
			154	0–00–20
			245	0–06–39
			248	0–01–52
		कुल किता	**14**	**0–38–94**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)157 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थानाकलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	थानाकलां	327	0–06–31
			328	0–05–96
			342	0–17–68
			769	0–00–24
			770	0–00–36
			846	0–00–49
			847	0–00–68
			848	0–01–07
			850	0–00–16
			851	0–00–15
			852	0–00–98
			853	0–01–05
			859	0–00–81
			861	0–00–87
			862	0–00–12
			863	0–00–08
			865	0–00–36
			866	0–00–16
			949	0–00–36
			950	0–00–72
			953	0–00–81
			954	0–00–58
			1419 / 765	0–00–16
			1420 / 765	0–00–36
			1441 / 1043	0–00–22
			1445 / 1045	0–01–47
			1448 / 1048	0–00–10
		कुल किता	**27**	**0–42–31**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)154 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हरीनगर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	हरीनगर	91	0–10–39
			92	0–00–98
			94	0–00–42
			96	0–02–64
			135	0–01–23
			263	0–85–18
			282	0–07–18
			349	0–10–51
			353	0–03–94
			386	0–01–23
			387	0–01–73
			388	0–00–90
			393	0–00–99
			410	0–45–15
			412	0–00–88
			415	0–00–20
			417	0–00–37
			419	0–01–64
			444	0–63–47
			580	0–04–12
			640	0–00–52
			641	0–00–62
			661	0–01–43
			682	0–00–52
			708	0–02–09
			709	0–00–82
			719	0–01–73
			720	0–01–04
			721	0–03–84
			730	0–02–46
			733	0–00–42
			734	0–01–63
			735	0–00–50
			736	0–01–18
			936	0–03–09
			937	0–00–18
			938	0–01–02
			940	0–00–55
			943	0–00–14
			944	0–00–35
			1010	0–01–08

	1029	0—80—55
	1044	0—50—01
	1092	0—23—51
	1112	0—13—86
	1143	0—04—50
	1152	3—65—00
	1154	0—23—44
	1234 / 134	0—01—35
	1235 / 134	0—42—27
	1250 / 751	0—08—97
	1251 / 751	0—14—73
	1252 / 751	0—14—67
कुल किता	**53**	**09—11—22**

शिमला—2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)150 / 2009.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थानाखास, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना—अग्धार—मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	थानाखास	249	0—00—54
			250	0—02—19
			267	0—00—84
			272	0—00—28
			306	0—00—66
			326	0—02—67
			327	0—00—58
			330	0—00—57
			331	0—00—40
			336	0—02—02
			337	0—01—22

381	0—18—50
389	0—04—33
394	0—02—30
402	0—01—28
403	0—02—56
461	0—07—64
950	0—01—28
951	0—01—34
952	0—01—60
954	0—04—22
988	0—01—75
989	0—01—63
1004	0—04—21
1086	0—00—95
1102	0—00—90
1113	0—00—52
1115	0—00—68
1116	0—02—32
1117	0—03—19
1118	0—01—62
1119	0—02—81
1120	0—01—48
1121	0—02—04
1123	0—01—44
1124	0—00—76
1125	0—00—99
1126	0—03—27
1127	0—00—28
1128	0—00—80
1155	0—02—39
1156	0—00—42
1158	0—02—70
1159	0—02—08
1160	0—00—70
1173	0—08—67
1181	0—01—44
1309 / 990	0—10—45
1341	0—02—12
1355	0—06—12
1379	0—27—54
1384	0—09—35
1732	0—00—30
2299 / 953	0—00—92
2303 / 956	0—00—60
2304 / 956	0—04—76

	2305 / 957	0–01–82
	2319 / 2298 / 953	0–00–60
	2320 / 2298 / 953	0–00–26
	2321 / 2298 / 953	0–00–58
	2322 / 2298 / 953	0–01–47
	2361 / 1369	0–14–42
कुल किता	**62**	**1–88–37**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)142 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव / उपमहाल त्यूडी प्रथम मौजा त्यूडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	त्यूडी प्रथम	35	00–42–21
			36	00–24–48
			43	00–05–78
			44	00–17–64
			49	00–11–51
			64	00–03–36
			72	00–03–21
			73	00–02–85
			74	00–02–70
			75	00–04–28
			76	00–05–10
			77	00–03–74
			78	00–03–62
			79	00–03–92
			80	00–03–30
			86	00–45–12

	193	00—03—60
	194	00—14—08
	195	00—02—31
	196	00—00—63
	197	00—12—31
	206	00—06—15
	207	00—00—90
	209	00—02—00
	210	00—02—69
	211	00—00—76
	212	00—00—22
	213	00—00—36
	219	00—11—38
	220	00—10—12
कुल किता	**30**	**02—50—33**

शिमला—2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)141 / 2009.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव झलेड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना—अग्धार—मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	झलेड़ा	631 / 1	00—03—02
			632	00—00—60
			632 / 1	00—00—81
			633	00—01—66
			636	00—02—82
			637	00—02—82
			638	00—08—02
			650	00—05—32
			652	00—04—27

	656	00—05—05
	659	00—04—31
	660	00—00—84
	661	00—00—54
	663	00—02—40
	664	00—00—45
	665	00—04—35
	779	00—44—74
	780	00—00—20
	781	00—01—80
	782	00—00—06
	783	00—02—00
कुल किता	**21**	**00—96—08**

शिमला—2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)155 / 2009.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सासन, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना—अग्धार—मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	सासन	37	0—01—45
		कुल किता	**1**	**0—01—45**

शिमला—2, 16 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)139 / 2009.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जलग्रां, तहसील व जिला ऊना में नंगल—मुवारिकपुर—तलवाड़ा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (है0) में
ऊना	ऊना	जलग्रां	1872 / 321 / 1	0–00–15
			1873 / 321 / 1	0–00–09
			1874 / 321 / 1	0–00–24
			1919 / 330 / 1	0–00–09
			1921 / 331 / 1	0–00–09
			1924 / 324 / 1	0–00–57
			1925 / 331 / 1	0–00–15
			1927 / 333 / 1	0–00–40
			334	0–00–16
			1933 / 335 / 1 / 1	0–00–04
			1934 / 335 / 1 / 1	0–01–24
			1945 / 336 / 1	0–00–16
			1950 / 336 / 1	0–00–88
			337 / 1	0–00–80
			647 / 1	0–01–00
			649 / 1	0–01–26
			651 / 1	0–03–55
			653	0–03–80
			654 / 1	0–03–25
			696 / 1 / 1	0–14–75
			697 / 1 / 1	0–03–45
			1619 / 1092 / 1	0–00–20
			1620 / 1092 / 1	0–00–27
			1621 / 1092 / 1	0–00–27
			1622 / 1092 / 1	0–00–24
			1623 / 1092 / 1	0–00–32
			1624 / 1092 / 1	0–00–36
			1127 / 1	0–00–42
			1128 / 1	0–00–48
			1129 / 1	0–00–16
			1130 / 1	0–00–15
		कुल किता	**31**	**0–38–99**

शिमला–2, 15 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)207 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पडारा मय समाण, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में मराथू टाहू चुजंर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर		क्षेत्र(है0 में)
			साबक	हाल	
शिमला	कोटखाई	पडारा मय समाण	72 मिन	390	0–00–11
			72 मिन	402	0–00–10
			131 मिन	427	0–01–00
			338 मिन	703	0–03–85
			339 मिन		
			340 मिन		
			342 मिन		
		कुल		**किता–4**	**0–05–06**

शिमला–2 13 अक्तूबर, .2009

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0;बी0एफ(5)223 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सावर्जनिक प्रयोन हेतु गांव रुम्वल, उप तहसील हार चक्कियां, जिला कांगड़ा में रानीताल–कोटल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अजर्न समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
कांगड़ा	हार चक्कियां	रुम्वल	549 / 1	0–01–76
			558 / 1	0–00–28
		कुल किता	**2**	**0–02–04**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)134 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में बजीर बावड़ी सड़क से बीज्र तक नव निर्मित बस स्टैंड को जोड़ने के लिए सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मध्य क्षेत्र मण्डी, लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
कुलू	निरमण्ड	फाटी तुनन	3546 / 3271	2–12
			3272 / 1	0–4
			3272 / 2	2–6
			3273	0–4
			3239	2–1
		कुल जोड़	**किता–5**	**7–7**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)9 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मूरिंग, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति में मूरंग–डिलटा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता, एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव		खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
लाहौल एवं स्पिति	उदयपुर	मूरिंग		145 / 1	0–3–6
				145 / 2	0–1–10
				146 / 1	0–1–0
				147 / 1	0–6–3
				147 / 2	0–9–18
				150 / 1	1–0–0
			कुल जोड़	**किता–6**	**2–13–10**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)153 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव घुघण ककराणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव		खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	घुघण ककराणा		1763	0–08–97
			कुल किता	**1**	**0–08–97**

शिमला–2, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)156 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव तनोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव		खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0 में)
ऊना	बंगाणा	तनोह		1033	0–03–98
				1034	0–02–99
				1035	0–00–94
				1036	0–00–32
				1037	0–00–12
				1038	0–00–94
				1039	0–00–08
				1040	0–01–30
				1046	0–02–28
				1047	0–00–12
				1048	0–00–36
				1049	0–00–62
				1079	0–03–19
			कुल किता	**13**	**0–17–24**

शिमला–2, 30 सितम्बर, 2009

संख्या पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)6 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नागल सकेती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में खजुराना सकेती काला अम्ब सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अजर्न समाहर्ता (दक्षिण क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(बीघा विस्वा)
सिरमौर	नाहन	नागल सकेती	89 / 2	0–17
			412 / 90 / 1 / 1	0–1
			412 / 90 / 2	0–8
			412 / 90 / 3 / 1	0–5
			412 / 90 / 5 / 1	0–2
			412 / 90 / 6 / 1	0–2
			412 / 90 / 16 / 1	0–15
			412 / 90 / 13 / 2	0–8
			430 / 106 / 1	1–12
		कुल जोड़	**किता–9**	**4–10**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला जिला शिमला, हि0प्र0

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 14–9–2009

संख्याः पीसीएच–एसएमएल(4)244 / 85.––यह कि ग्राम पंचायत देवठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के लेखों का अवधि 1–4–2007 से 31–7–2008 तक के लिए किए गए अंकेक्षण नोट अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायत पत्रों का अवलोकन करने उपरान्त श्रीमती रेखा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी को

वित्तिय अनियमितताओं तथा प्रधान के गरिमापूर्ण पद का दुरूपयोग करने जैसे गम्भीर आरोप, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाया गया हैः–

आरोप संख्या 1. यह कि मु0 1,60,653 / –रूपये की राशी प्रधान द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर इसका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है जो कि पंचायती राज अधिनियमों में रखे गए प्रावधानो की स्पष्टतया उल्लंघना है।

आरोप संख्या 2. यह कि पेयजल योजना कुन्दनाला से कुफर–दसोड़ नाला के कार्यान्वयन हेतू उक्त प्रधान ने मस्ट्रोल मुताबिक 7,190 / –रूपये का व्यय दर्शाया है जबकि इस मस्ट्रोल का उन द्वारा सत्यापन नही किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्तिय नियम 2002 की धारा 7 के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य था।

आरोप संख्या 3. यह कि अंकेक्षण की उक्त अवधि के दौरान खरीदी गई स्टॉक व स्टोर की विभिन्न वस्तुओं एवं स्टेश्नरी आदि के लिए कुटेशन आमन्त्रित नहीं की गई और न ही अंकेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि उक्त वित्त नियम के नियम 67(5) की स्पष्ट उल्लंघना है।

आरोप संख्या 4. यह कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के आय–व्यय की परीक्षा सूची के क्रम संख्या 3 व 4 तथा सामान्य रोकड़ की सूची के क्रम संख्या 33 (1 से 12) पर वर्णित पेशगी के रूप में दी गई राशियों तथा परीक्षा सूची के क्रम संख्या 22(1 से 7) तक दर्शाई गई नकद शेष राशियों को सम्बन्धित व्यक्तियों (देनदारों) से वसूल न करके वित्तिय नियम के नियम 83 में रखे प्रावधानों की अवहेलना की गई है।

आरोप संख्या 5 यह कि सहकारी बैंक ठियोग में खोले गए पंचायत के खाता संख्या 233 हेतू उपलब्ध बैंक विवरणिका (स्टेटमैन्ट) अनुसार विभिन्न तिथियों को श्री रोशन लाल नामक व्यक्ति जो कि पंचायत के किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं है और न ही पंचायत द्वारा निकासी हेतू प्राधिकृत किया है, द्वारा चैक के माध्यम से खाता में से राशियां निकाली गई है। अतः असक्षम व्यक्ति के माध्यम से पंचायत की धनराशी को बैंक से निकालने हेतू प्राधिकृत करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की स्पष्टतयः उल्लघना है जिसका उत्तरदायित्व प्रधान का है।

आरोप संख्या 6 यह कि अंकेक्षण पत्र में उठाई गई आपत्ति अनुसार प्रधान के रोकड़ बही में किए गए इन्द्राज पर हस्ताक्षर मौजूद नही है और आय–व्यय के बाउचर भी नियमानुसार सत्यापित नही है। इसके अतिरिक्त कार्य समितियों के गठन बिना विकास कार्यों के कार्यान्वयन करवाने तथा सतर्कता समितियों का गठन न करने जैसे गम्भीर आरोप प्रधान के विरूद्ध उजागर हुए हैं जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्तिय नियमों में रखे गए प्रावधानो की उल्लघना है।

आरोप संख्या 7 यह कि पंचायत क्षेत्र वासियों से प्राप्त शिकायत अनुसार गुच्छियां (वन उत्पाद) पंचायत क्षेत्र से बाहर ले जाने की अनुमति देने के उददे्श्य से प्रधान द्वारा बिना वन विभाग की आवश्यक अनुमति लेने व पंचायत क्षेत्र के गैर निवासियों को प्राथमिकता देने जैसी आवश्यक औपचारिकता को पूर्ण किए बगैर परमिट जारी किए गए जो कि सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2003 को जारी निर्देशों की उल्लंघना है। इसके अतिरिक्त परमिट जारी करने के एवज मे रॉयल्टी लेने हेतू जिस रसीद संख्या 411 का प्रयोग किया गया है वह जाली प्रतीत होती है क्योंकि ऐसी रसीद बुक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी अथवा सत्यापित नहीं करवाई गई है। इस उक्त रसीद का प्रयोग गुच्छी परमिट की रॉयल्टी प्राप्त करने हेतू तीन बार लगातार करना अथवा प्राप्त राशी की वसूली का दर निर्धारित न होना स्पष्टतयः रॉयल्टी के रूप में हो रही आय का दुरूपयोग दर्शाता है।

आरोप संख्या 8. यह कि इस कार्यालय को प्राप्त शिकायत अनुसार आपने पंचायत सचिव / सहायक की मिली–भगत से पंचायत रिकार्ड में छेड़छाड़ करके अपने ससुर श्री मेहर सिंह उर्फ मेहरू की आयु 50 वर्ष से अधिक बढ़ा कर 63 वर्ष कर उसे बुढ़ापा पेन्शन हेतू पात्र बनाने में सहयोग दिया जो कि शिकायत पत्र के साथ संलग्न राजस्व कागजात अथवा निर्वाचक नामावली में दर्शाए तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है।

अतः मैं हितेन्द्र चन्देल, जिला पंचायत अधिकारी शिमला उन शक्तियों के अधीन जो मुझमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 की उप धारा (1) (ग) तथा धारा (2) के अन्तर्गत निहित है, का प्रयोग करते हुए श्रीमती रेखा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला को अंकेक्षण पत्र दिनांक 1–4–2007 से 31–3–2008 में उठाई गई आपत्तियों अथवा उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों कें दृष्टिगत पंचायत निधि के दुरूपयोग अथवा कर्तव्य निर्वहन में अवचार का दोषी होने के आरोपों में कथित तौर पर संलिप्त होने पर निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अवश्य पहुंच जाजना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ कहना नही चाहती तथा एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
जिला पंचायत अधिकारी।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, *the* 12*th October*, 2009

No: Ind.A(C)7-2/2000.— In partial modification of this department notification of even number dated:17th September, 2007 regarding allotment/transfer of shares of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 12(twelve) number of equity shares of the value of Rs.100/- each of H.P. State Handicrafts & Handloom Corporation Ltd. from the name of Shri Arvind Mehta, the then Secretary(Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh to the name of Shri Ajay Tayagi, Principal Secretary(Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh from the date of assuming of his assignment.

Shimla-171002, *the* 9*th October*, 2009

No: Udyog-II(chh)13-3/84-II.—In partial modification of this department notification of even number dated:13rd September, 2007 regarding allotment/transfer of shares of Nahan Foundry Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer 1(one) number of equity share of the value of Rs.1000/- of Nahan Foundry Ltd., Nahan, from the name of Sh. Arvind Mehta, the then Principal Secretary(Finance) to the Government of Himachal Pradesh to the name of Sh. Ajay Tayagi, Principal Secretary(Finance) to the Government of Himachal Pradesh.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

22 अक्तूबर, 2009

संख्या : विद्युत–छ–(5)–29 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल पनार कल्याण, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4 भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सिरमौर	ददाहु	पनार कल्यान	955 / 863	3.14
			979 / 974	45.8
			954 / 863	0.7
			887	2.6
			कुल कित्ता–4	**कुल रकबा–51.15 बीघा**

22 अक्तूबर, 2009

सख्या : विद्युत.–छ–(5)–19 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बोगली ब्यालग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बॉध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला–4, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला–4, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला–4, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सिरमौर	पच्छाद	बोगली ब्यालग	118/4	2-18
			5	4-7
			6	2-8
			7	2-5
			8	0-9
			152/9	2-2
			153/9	6-4
			147/1	0-10
			148/1	1-13
			149/1	0-8
			17	15-13
			कुल कित्ता–11	**कुल रकबा–38-17 बीघा**

23 अक्तूबर, 2009

संख्या : विद्युत.–छ–(5)–37 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल पलासडा दितू, भूमियां, चूहूवाल तथा दत्तोवाल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0प्र0 में 220 / 66 के0वी0 सबस्टेशन, नगल उपरला से विद्यमान 66 / 33 / 11 के0वी0 सव स्टेशन, नालागढ़ तक 220 के0वी0 टावर पर 66 के0 वी0 डब्बल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, शिमला–4 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सोलन	नालागढ़	पलासड़ा दितू	48/1	0-4
			78/1	0-4
			कित्ता–2	**रकबा–0.8 बीघा**
		भूमिया	11/1	0-6
			46/1	0-6
			149/38/1	0-4
			36/1	0-3
			कित्ता–4	**रकबा–0.19 बीघा**
		चूहूवाल	2/1	0-6
			38/1	0-7
			95/1	0-7
			101/1	0-6
			154/1	0-5
			155/1	0-1
			कित्ता–6	**रकबा–1.12 बीघा**
		दत्तोवाल	786/757/1	0-6
			कुल कित्ता–13	**कुल रकबा– 3.5 बीघा**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 21*st October*, 2009

No. FFE-B-F(14)72-2005-L.— In partial modification of this department Notification No. No.FFE-B-F(14)72-2005 dated 17th March, 2007, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Chief Conservator of Forests (Floral Diversity, Non TimberForest Produce & Research Management) as Member Secretary of Bamboo Development Agency (BDA) in place of Conservator of Forests (Project) with immediate effect.

By Order,
AVAY SHUKLA,
Addl. Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित